

राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश
(व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उ०प्र० सरकार)



राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एस.सी.वी.टी.), उ.प्र.
State Council for Vocational Training (S.C.V.T.), U.P.

आई.टी.आई. प्रवेश सत्र अगस्त-2018

विवरण – पुस्तिका (निःशुल्क)

उत्तर प्रदेश के निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में
सत्र अगस्त 2018 के प्रवेश हेतु आवश्यक निर्देश

अधिशाली निदेशक

राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश
परिसर, राजकीय आई0टी0आई0
अलीगंज, लखनऊ – 226024

दूरभाष : 0522-2334928, 2337831 फैक्स : 0522-2336115

वेबसाइट : www.scvtup.in ; ई-मेल : admission@scvtup.in

प्रस्तावना

निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (Craftsmen Training Scheme) का क्रियान्वयन किया जाता है। इस योजना अन्तर्गत “राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन0सी0वी0टी0)” से सम्बन्धन प्राप्त व्यवसायों एवम् एककों में प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल अर्जित करने, तकनीकी और औद्योगिक अभिव्यक्त उत्पन्न कर स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाने एवं औद्योगिक उत्पाद की मात्रा व गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देना तथा प्रशिक्षार्थियों को ज्ञान के साथ-साथ कौशल अर्थात् कार्य को स्वयं द्वारा सम्पादित करने की सक्षमता प्रदान करने का अवसर प्रदान करना है।

निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय आई0टी0आई0 प्रवेश प्रक्रिया अर्हकारी शैक्षिक योग्यता की मेरिट के माध्यम से किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश में निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एक दृष्टि में	
प्रदेश में कुल निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	2757
प्रदेश में संचालित कुल व्यवसाय जिनमें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है	51
प्रशिक्षण सत्र 2018 में प्रवेश हेतु उपलब्ध कुल सीटें	364781

नोट : परिशिष्ट –7 पर एन.सी.वी.टी. व्यवसायों में प्रवेश हेतु जनपदवार संचालित संस्थानों की व्यवसायवार स्वीकृत सीटों की स्थिति सुपर न्यूमरीज सहित दर्शाई गई है।

विवरण पुस्तिका भली-भाँति पढ़कर ही ऑन-लाइन आवेदन करें।

सामान्य निर्देश

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया:-

ऑनलाइन आवेदन (डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान) किया जाना है, जिस हेतु :-

- a- युनियन बैंक ऑफ इंडिया।
- b- ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, के पेमेन्ट गेटवे की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट <http://www.scvtup.in> को खोलना होगा, तथा उस पर बने हुए लिंक “**Online Submission of Application for Admission for Session 2018-19 for Private ITI**” पर क्लिक कर अभ्यर्थी अपना आवेदन एवं तदनुसार पंजीकरण शुल्क का भुगतान कर सकता है। अभ्यर्थी को पहले अपना फार्म भरना होगा। फार्म भरने के पश्चात उसे “Preview” वाले पृष्ठ पर अंकित 'Proceed For Payment' के लिंक पर क्लिक कर ऑनलाईन भुगतान करना होगा। ऑनलाइन शुल्क का चयन करने पर अभ्यर्थी को बैंकों के चयन का विकल्प प्राप्त होगा, अभ्यर्थी अपनी सुविधानुसार प्रदर्शित किसी भी बैंक के विकल्प का चयन कर आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं, तथा भुगतान होने पर वह अपने फार्म का प्रिंट आउट ले सकेगा। ऑनलाइन आवेदन में सहायता हेतु विवरणी ई-फार्म में वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी विवरणी को पूर्ण रूप से या आवश्यकता के अनुसार विवरणी का कोई भाग प्रिंट कर सकते हैं, या डाउनलोड कर सकता है।

2. प्रवेश पंजीकरण शुल्क :-

- (i) सामान्य / पिछड़ा वर्ग हेतु शुल्क रू0 250 /—(रू0 दो सौ पचास मात्र)।
- (ii) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति हेतु शुल्क रू0 150 /—(रू0 एक सौ पचास मात्र)।

आवेदक विवरण पुस्तिका में अंकित दिशा-निर्देशों को भली-भाँति पढ़ लें एवं तदनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र निर्धारित **अन्तिम तिथि-25-06-2018 तक भरे**, तथा उसे Submit करें, तथा भरे आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट लेकर अपने पास सुरक्षित रखें, चयनित अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय की गयी प्रविष्टियों से सम्बन्धित शैक्षिक योग्यता, आरक्षण वर्ग एवं **अधिमानी अर्हता सम्बन्धी मूल अभिलेखों का सत्यापन निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय कराया जायेगा।**

3. आयु :-

01 अगस्त, 2018 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 31.07.2004 के बाद न हुआ हो। अभ्यर्थी की अधिकतम आयु का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं होगी।

4. स्वास्थ्य :-

निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में चल रहे व्यवसायों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा शरीर में कोई ऐसी कमी नहीं होनी चाहिए जिसके फलस्वरूप वह अपने व्यवसाय की कार्यक्षमता को सम्पन्न न कर सके। दिव्यांग एवं अक्षम अभ्यर्थियों हेतु सम्पूर्ण प्रवेश क्षमता का 3% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य है। इस श्रेणी में केवल ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी अक्षमता 40% अथवा उससे अधिक हो। प्रवेश के समय अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्रमाण-पत्र जिसमें यह प्रमाणित हो कि अभ्यर्थी कम से कम 40% दिव्यांग है एवं दिव्यांगता की

सुविधा प्राप्त करने का अधिकारी है, प्रस्तुत करना होगा। संस्थान में ऐसे अभ्यर्थी के प्रवेश से पूर्व पाठ्यक्रम विशेष हेतु अभ्यर्थी की उपयुक्तता का आंकलन संस्थान स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक नेत्र का बिना चश्मे या चश्मे के साथ दिन के प्रकाश में परीक्षण किये जाने पर उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। आँखों की रोशनी दोनों आँखों में 6/18 या एक आँख में 6/24 बिना चश्मे के होना चाहिए। एक आँख वाले अभ्यर्थी, जो कलर ब्लाइन्डनेस दोष से मुक्त हो, भी चयन के पात्र हैं।

5. आरक्षण:-

शासनादेश संख्या : 71/2018/1686/89-व्या0शि0 एवं कौ0वि0वि0-2018-26(टी)/2010, दिनांक-11-05-2018 के क्रम में प्रदेश में स्थित निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण निम्नवत् है-

क्र0सं0	आरक्षित श्रेणी	अनुमन्य आरक्षण
1	अनुसूचित जाति (S.C.) के अभ्यर्थियों के लिए	प्रत्येक व्यवसाय की समस्त प्रवेश सीटों का 21 प्रतिशत।
2	अनुसूचित जनजाति (S.T.) के अभ्यर्थियों के लिए	प्रत्येक व्यवसाय की समस्त प्रवेश सीटों का 02 प्रतिशत।
3	अन्य पिछड़ा वर्ग (O.B.C.) के अभ्यर्थियों के लिए	प्रत्येक व्यवसाय की समस्त प्रवेश सीटों का 27 प्रतिशत।

नोट :- उक्त के अतिरिक्त निम्नांकित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सम्मुख विवरणानुसार क्षैतिज प्रकृति का आरक्षण प्रदान किया जायेगा एवं क्षैतिज आरक्षणों में से मात्र एक आरक्षण ही अभ्यर्थी ले सकेगा।

क्र0सं0	क्षैतिज आरक्षण हेतु श्रेणी	अनुमन्य आरक्षण
1.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों (F.F.) के आश्रितों (विवाहित अथवा अविवाहित पौत्र एवं पौत्री) हेतु आरक्षण।	प्रत्येक व्यवसाय की समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 02 प्रतिशत।
2.	उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षा कर्मियों अथवा युद्ध में मारे गये रक्षा कर्मियों अथवा उत्तर प्रदेश में तैनात रक्षा कर्मियों के पुत्र एवं पुत्रियों हेतु आरक्षण।	प्रत्येक व्यवसाय की समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 05 प्रतिशत।

3.	<p>शारीरिक रूप से दिव्यांग (निःशक्त) (P.H.) अभ्यर्थियों के लिए।</p> <p>इस श्रेणी में केवल ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी शारीरिक अक्षमता 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो। प्रवेश के समय उन्हें अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह प्रमाणित हो कि अभ्यर्थी कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांग है एवं वह दिव्यांगता की सुविधा प्रदान करने का अधिकारी है। संस्थान में ऐसे अभ्यर्थी के प्रवेश के पूर्व अभ्यर्थी की उपयुक्तता* का आंकलन संस्थान स्तर पर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ द्वारा किया जायेगा।</p>	प्रत्येक व्यवसाय की समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 03 प्रतिशत।
4.	समस्त निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण।	प्रत्येक व्यवसाय की समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 20 प्रतिशत।

* समस्त अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं एवं दिव्यांगता के आरक्षण का लाभ चाहते हैं को सलाह दी जाती है कि वे प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा व्यवसाय विशेष हेतु सुझावित उपयुक्तता के संबंध में जारी दिशा निर्देशों की जानकारी प्रदेश में स्थित निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्राप्त कर सकते हैं।

6. **वरीयता अंक** – निजी आई0टी0आई0 में प्रवेश के लिये अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित वरीयता निम्नवत् है:-

(i) राज्य स्तरीय खिलाड़ी, जिनको संबंधित स्पोर्ट्स एसोसियेशन द्वारा प्रमाण-पत्र दिया गया है, को 3 अंक वरीयता के देय हैं।

7. समस्त अभ्यर्थी विवरण पुस्तिका को भली-भाँति पढ़कर स्पष्ट रूप से ऑन-लाइन आवेदन-पत्र भरें। त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण भरे गये ऑन-लाइन आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। ऐसे त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण ऑन लाइन आवेदन हेतु राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0 का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

8. पोर्टल पर ऑन लाइन आवेदन भरने के उपरान्त submit किये गये आवेदन पत्रों में राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के निर्देश से इतर किसी प्रकार का संशोधन अनुमन्य नहीं होगा।

9. ऑन लाइन आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर अपलोड किये गये फोटो की चार प्रतियाँ प्रवेश के समय यथा आवश्यकता उपयोग हेतु अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें।

10. ऑन-लाइन भरे गये आवेदन के प्रिन्टआउट की एक प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें।

11. सीट आवंटन प्रक्रिया—

- 11.1 जनपद स्तर पर संस्थानवार, व्यवसायवार सीटों की संख्या ऑनलाईन उपलब्ध रहेगी।
- 11.2 अभ्यर्थी के व्यवसाय के विकल्प को प्राथमिकता दी जायेगी। अभ्यर्थी सबसे पहले जिस व्यवसाय का विकल्प देगा उसे उसके द्वारा विकल्पित संस्थानों में वरीयता के अनुसार उसे सीट आवंटित की जायेगी।
- 11.3 प्रवेश के लिए अभ्यर्थी द्वारा प्रदेश के किन्हीं 03 जनपदों में अधिकतम कुल 25 संस्थानों के विकल्प दिये जा सकेंगे। अभ्यर्थी द्वारा गुप—ए एवं गुप—बी के व्यवसायों के लिए अलग—अलग वरीयता क्रम में विकल्प दिया जा सकता है। सीट आवंटन हेतु गुप—ए एवं गुप—बी के लिए **प्रदेश स्तरीय मेरिट लिस्ट अलग—अलग तैयार की जायेगी।**
- 11.4 गुप—ए की चयन सूची को पहले तैयार किया जायेगा। यदि किसी अभ्यर्थी को गुप—ए में सीट आवंटित हो जाती है, तो उसे गुप—बी हेतु चयन के लिये विचार नहीं किया जायेगा।

12. व्यवसाय हेतु निर्धारित अर्हकारी शैक्षिक योग्यता:—

प्रदेश में संचालित निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, उनमें उपलब्ध व्यवसायों तथा व्यवसायों में प्रवेश हेतु अर्हकारी शैक्षिक योग्यता का विवरण **परिशिष्ट—02 से 05 पर** उपलब्ध है। अभ्यर्थी जिस व्यवसाय की अर्हकारी शैक्षिक योग्यता नहीं रखता होगा, वह उस व्यवसाय के चयन हेतु आवेदन नहीं कर सकता।

13. अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे संस्थान में चल रहे व्यवसायों में से ज्यादा से ज्यादा व्यवसायों का विकल्प आवेदन पत्र में भरें, जिससे कि उनकी योग्यता के आधार पर उनका चयन हो सके।
14. अभ्यर्थी का चयन अर्हकारी शैक्षिक योग्यता के परीक्षाफल के प्राप्तांक (वरीयता अंक यदि कोई हो को जोड़ते हुये) के अनुसार श्रेष्ठता के आधार पर किया जायेगा।

शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी विभिन्न परिषदों के परीक्षाफल में पूर्णांक अलग—अलग हैं। अतएव अभ्यर्थी को उपरोक्त वर्णित वरीयता अंक जोड़ने हेतु पूर्णांक 600 के अनुपातिक अंक के सापेक्ष प्राप्तांक का आधार माना जायेगा।

यदि दो अभ्यर्थियों के अर्हकारी शैक्षिक योग्यता के प्राप्तांक समान होते हैं तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को चयन में वरीयता प्रदान की जायेगी। यदि दो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं आयु भी समान हों तो उस अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जायेगी जिसने आवेदन पहले Submit किया है।

15. गुप 'ए' एवं 'बी' के अन्तर्गत व्यवसायों के सम्बन्ध में निर्देश

प्रत्येक अभ्यर्थी के पास गुप—ए एवं गुप—बी के अन्तर्गत उपलब्ध व्यवसायों हेतु निम्नलिखित तीन विकल्प उपलब्ध हैं—

1. अभ्यर्थी गुप—ए में उपलब्ध व्यवसायों का विकल्प दे सकता है।

अथवा

2. अभ्यर्थी गुप—बी में उपलब्ध व्यवसायों का विकल्प दे सकता है।

अथवा

3. अभ्यर्थी गुप—ए एवं गुप—बी दोनों में उपलब्ध व्यवसायों के विकल्प दे सकता है।

4. गुप—ए एवं गुप—बी दोनों गुप की मेरिट उनके शैक्षिक योग्यता के परीक्षाफल के प्राप्तांक (तथा अनुमन्य वरीयता अंक, यदि कोई हो, को जोड़ते हुये) के आधार पर अलग—अलग बनेंगी। परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी को गुप—ए में सीट आवंटित हो जाती है तो उसे गुप—बी के लिये विचार नहीं किया जायेगा।

16. पच्चीस: (25) संस्थानों का विकल्प

1. अभ्यर्थी को जनपद के विकल्प का चयन करने पर जनपद में संचालित आई0टी0आई0 की सूची दिखाई पड़ेगी। सूची में प्रदर्शित आई0टी0आई0 का चयन करेगा। तत्पश्चात् उक्त आई0टी0आई0 में चलने वाले व्यवसाय दिखाई पड़ेगे। उसे अपने इच्छित व्यवसायों के विकल्प चयन करने होंगे।

उदाहरणार्थ— यदि उसने जनपद की किसी आई0टी0आई0 में फिटर व्यवसाय का विकल्प भर दिया है तो उसके द्वारा चयन करने वाले व्यवसायों के विकल्प में से एक विकल्प फिटर अंकित हो जायेगा। उसे आगे भरने वाले सभी 25 संस्थानों में फिटर व्यवसाय (यदि संचालित है) का विकल्प प्राप्त हो जायेगा।

2. अभ्यर्थी किन्हीं तीन जिलों के अधिकतम पच्चीस संस्थानों का विकल्प भर सकता है।

जैसे— अभ्यर्थी जनपद लखनऊ स्थित किसी निजी आई.टी.आई. का पहला विकल्प भरने के बाद इलाहाबाद, वाराणसी अथवा किसी अन्य जनपद में स्थित निजी आई.टी.आई. को क्रमशः दूसरे व तीसरे विकल्प के रूप में भर सकता है।

17. प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अनुमन्य विभिन्न व्यवसायों की न्यूनतम अर्हकारी शैक्षिक योग्यता, प्रशिक्षण अवधि, शैक्षिक योग्यता कोड तथा व्यवसायों का संक्षिप्त परिचय का ब्यौरा मार्ग दर्शन हेतु **परिशिष्ट 02 से 05** पर उपलब्ध है, तथा जनपदों में चल रहे संस्थानवार, व्यवसायों का विवरण मार्ग दर्शन हेतु **परिशिष्ट 07** पर उपलब्ध हैं, जिसमें प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन/ परिवर्धन किये जाने पर तदानुसार चयनित अभ्यर्थी को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। अभ्यर्थी ऑन-लाइन आवेदन-पत्र में व्यवसाय का विकल्प चयन करने के पूर्व इसको अवश्य देख लें।

18. **महिला अभ्यर्थियों के आवेदन के सम्बन्ध में:—** समस्त निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए बीस प्रतिशत (20%) सीटें क्षैतिज रूप से आरक्षित रहेंगी।

19. अभ्यर्थियों द्वारा अर्हकारी शैक्षिक योग्यता के परीक्षाफल में प्राप्त अंकों एवं वरीयता अंक के आधार पर गुप-ए एवं गुप-बी की अलग-अलग व्यवसायवार श्रेष्ठता सूची (Merit List) तैयार की जाएगी। गुप 'ए' एवं गुप 'बी' के लिये व्यवसाय आबंटन की कार्यवाही अलग-अलग की जायेगी।

(अ)— ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया

प्रदेश के निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आगामी सत्र 2018 हेतु प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या:89/2018/1883/89-व्या0शि0 एवं कौ0वि0वि0- 2018- 125(बी)/87 टीसी, दिनांक-30.05.2018 के अनुसार प्रवेश अर्हकारी शैक्षिक योग्यता की मेरिट के आधार पर किया जायेगा व अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन में व्यवसाय एवं संस्थान के चुनाव का सीधा अवसर प्रदान किया जायेगा। उक्त शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्था निम्नवत है :-

- (1) ऑन लाईन आवेदन करते समय अभ्यर्थी को व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक आरक्षण वर्ग एवं अधिमानी अर्हताओं सम्बन्धी सूचनाएं पंजीकृत करानी होगी।
- (2) ऑन लाईन आवेदन के समय किसी भी अभ्यर्थी द्वारा वरीयता क्रम में कोर्स गुप ए एवं कोर्स गुप बी के व्यवसायों का विकल्प योजित किया जा सकेगा तथा इन व्यवसाय विकल्प हेतु वह किन्ही 03 जनपदों के अधिकतम 25 संस्थानों का विकल्प दे सकेगा।
- (3) चयनित अभ्यर्थी द्वारा ऑन लाईन आवेदन के समय की गयी प्रविष्टियों से सम्बन्धित शैक्षिक योग्यता आरक्षण वर्ग एवं अधिमानी अर्हता सम्बन्धी मूल अभिलेखों का सत्यापन निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय कराया जायेगा।

(4) अभ्यर्थियों द्वारा ऑन लाईन आवेदन पत्र में शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी परीक्षा के सभी विषयों के प्राप्तांकों के योग का प्रतिशत / (सी0जी0पी0ए0 को Equivalent Grade Point से गुणा करते हुए प्रतिशत में बदलकर) अंकित करना होगा साथ ही सी0जी0पी0ए0 भी अंकित करना होगा।

ब— अर्हकारी शैक्षिक योग्यता के प्राप्तांक की मेरिट के आधार पर प्रथम चरण में ऑन लाईन सीटों का आवंटन।

प्रथम चरण

- (1) परिषद द्वारा आरक्षण नियमों को ध्यान में रखते हुए संस्थानवार, व्यवसायवार, एवं वर्गवार सीटों का विवरण तैयार कराया जायेगा, जिसके सापेक्ष सीटों का आवंटन होगा।
- (2) कोर्स गुप ए व गुप बी के व्यवसायो के लिए **प्रदेश स्तरीय मेरिट लिस्ट** अलग-अलग तैयार की जायेगी तथा गुपवार आवंटन की कार्यवाही अलग-अलग की जायेगी। किसी अभ्यर्थी को गुप-ए में यदि कोई सीट आवंटित हो जाती है, तो उसे गुप-बी हेतु विचार नहीं किया जायेगा।
- (3) प्रथम चरण में किसी भी गुप में सीटों के आवंटन की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए उक्त गुप की वरीयता सूची के क्रम में अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की जायेगी। प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए उसके द्वारा अंकित प्रथम वरीयता के व्यवसाय के लिए यह परीक्षण किया जायेगा कि क्या उसके मेरिट एवं आरक्षण वर्ग के आधार पर उसके द्वारा वरीयता क्रम में चिन्हित 25 संस्थानों में से किसी भी संस्थान में सीट आवंटित की जा सकती है। यदि ऐसा नहीं है, तो उसके द्वारा वरीयता क्रम में चिन्हित अगले व्यवसाय के लिए यही प्रक्रिया दोहराई जायेगी, जब तक उसके द्वारा चिन्हित समस्त व्यवसायों एवं संस्थानों में कोई सीट उपलब्ध न रहे।
- (4) तत्पश्चात अगली वरीयता क्रम के अभ्यर्थी के लिए यही प्रक्रिया दोहराई जायेगी और इसी क्रम में समस्त अभ्यर्थियों के लिए इस प्रक्रिया का पालन करते हुए सीटों का आवंटन किया जायेगा जब तक कि समस्त उपलब्ध सीटें आवंटित नहीं हो जाती।
- (5) अभ्यर्थी द्वारा पंजीकृत किये गये व्यवसाय एवं संस्थानों के विकल्प के आधार पर सीट आवंटन के चयन का परिणाम परिषद स्तर से परीक्षण समिति गठित कर उसकी संस्तुति के आधार पर आगामी 03 दिवसों में तैयार कराकार परिषद की वेबसाइट www.scvtup.in पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा चयनित अभ्यर्थियों को उनके **Mobile** पर **Message** के द्वारा भी सूचना भेजी जाएगी। उक्त आशय की मात्र विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को आवंटित व्यवसाय / संस्थान में प्रवेश लेने के लिए 06 कार्य दिवसों का समय प्रदान किया जायेगा।
- (6) इस चरण में शैक्षिक योग्यता की मेरिट के आधार पर कुल उपलब्ध सीटों के 04 गुना संख्या में ही पात्र अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जायेगा।
- (7) यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में प्रवेश नहीं लेता है, तो उसका आवंटन रद्द माना जायेगा, तथा आगामी प्रक्रिया में उसे बाहर रखा जायेगा।

द्वितीय चरण

द्वितीय चरण के आवंटन के लिए सर्वप्रथम ऐसे अभ्यर्थियों को अलग कर दिया जायेगा जिन्होंने अपने को आवंटित संस्थान / व्यवसाय में प्रवेश नहीं लिया है। तत्पश्चात अवशेष सीटों के लिए आवंटन की प्रक्रिया पुनः प्रथम चरण के प्रस्तर—(3) के अनुसार चलाई जायेगी। उक्त के अनुसार तैयार **द्वितीय सूची पुनः परिषद की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी तथा चयनित अभ्यर्थियों को उनके Mobile पर Message के द्वारा सूचना भेजी जाएगी। उक्त आशय की मात्र विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जाएगी तथा संस्थान / व्यवसाय**

में प्रवेश लेने हेतु 06 दिन का समय दिया जायेगा। इस चरण में भी जो अभ्यर्थी अपने को आवंटित संस्थान/व्यवसाय में प्रवेश नहीं लेते हैं, वे अगले चरण में आवंटन के लिए पात्र नहीं होंगे। दूसरे चरण के प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त पुनः अवशेष रिक्त सीटों का आंकलन किया जाएगा।

तृतीय चरण

द्वितीय चरण के उपरान्त अवशेष रिक्त सीटों का विवरण तैयार कर वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा, तथा रिक्त सीटों की संख्या के 04 गुना अभ्यर्थियों का पुनः विकल्प प्राप्त करते हुए पंजीकरण की कार्यवाही 05 दिनों के अन्दर ही की जायेगी। अभ्यर्थियों का विकल्प पंजीकृत करने हेतु सूचना वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी तथा उक्त आशय की विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी नया विकल्प नहीं देना चाहता है, तो उसके प्रवेश फार्म में दिये गये विकल्प पर ही उसकी मेरिट के अनुसार उसे व्यवसाय आवंटित कर दिया जायेगा। पंजीकरण के उपरान्त चयन प्रक्रिया 04 दिनों में पूर्ण कर ली जायेगी, तथा अभ्यर्थियों को प्रवेश लेने हेतु अधिकतम 05 दिनों का समय प्रदान किया जायेगा।

सीटों के आवंटन में केवल ऐसे अभ्यर्थियों पर विचार किया जायेगा, जिन्हें प्रथम एवं द्वितीय चरण में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है। आवंटन की प्रक्रिया पुनः प्रथम चरण के प्रस्तर—(3) की भाँति की जायेगी। इस चरण में आवंटन के उपरान्त अनावंटित अवशेष सीटों को अनारक्षित करते हुए दोबारा सीट आवंटन की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

चतुर्थ चरण

उपरोक्तानुसार जनपदवार निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानवार व्यवसायों में रिक्त सीटों के सापेक्ष आरक्षण की व्यवस्था को शिथिल रखते हुए निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को यह सुविधा प्राप्त होगी कि वह पोर्टल पर अब तक चयन से वंचित अभ्यर्थियों में से अथवा पोर्टल के बाहर के योग्यताधारक अभ्यर्थियों में से अपने संस्थान हेतु रिक्त सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण कर लें तथा निर्धारित तिथि तक पोर्टल के अभ्यर्थियों को सम्बन्धित व्यवसाय की सीट के विरुद्ध तथा नये अभ्यर्थियों का पोर्टल पर फार्म भरवाकर ऑन—लाइन प्रवेश पंजीकरण शुल्क जमा करते हुए प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण कर सुरक्षित कर लें।

सीट आवंटन प्रक्रिया हेतु निर्धारित किये गये उपरोक्त चरणों को समयबद्ध रूप से पूरा किया जायेगा, जिससे की दिनांक 31.07.2018 तक समस्त प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाय।

20. ऑन लाइन विकल्प आधारित चयन प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से सम्पन्न की जायेगी। प्रदेश में चरण अनुसार उस चरण के लिए निर्धारित अन्तिम प्रवेश तिथि के उपरान्त किसी भी परिस्थिति में किसी अभ्यर्थी का प्रवेश सम्भव नहीं होगा।
21. विवरणी में दर्शाये गये किसी भी संस्थान/व्यवसाय में प्रवेश न किये जाने का अधिकार उत्तर प्रदेश शासन/परिषद के पास सुरक्षित रहेगा

: महत्वपूर्ण निर्देश :

1. राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 द्वारा संचालित ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन पत्र भर कर Submit (जमा) करने पर अभ्यर्थी उन सभी नियमों, प्रतिबंधों तथा उपबन्धों से आबद्ध हो जाता है जो विवरण—पुस्तिका में विभिन्न स्थानों पर दिये गये हैं या जिन्हें समय—समय पर परिषद या राज्य सरकार परिवर्तन करें या नवीनतम् नियम लागू करें।
2. यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत सूचना प्रवेश से पूर्व/प्रवेश के समय या भविष्य में असत्य पायी जाती है तो उस अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

3. यह देखा गया है कि अभ्यर्थी अन्य वर्ग/वरीयता कालम में वरीयता के पात्र न होते हुए भी उसका चयन कर लेते हैं। जिससे उस वर्ग में उनका चयन होने के उपरान्त पात्रता के अभाव में प्रवेश नहीं हो पाता है। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि पात्रता होने पर ही सम्बन्धित वर्ग/वरीयता का चयन करें। यदि कोई अभ्यर्थी ऑन-लाइन आवेदन पत्र में अधूरी, अस्पष्ट अथवा गलत सूचना अंकित करता है तो आवेदन-पत्र की ऐसी सूचनायें आवेदन Submit करने के बाद संशोधित नहीं की जा सकेंगी। अपूर्ण/अस्पष्ट सूचना के कारण अभ्यर्थी को होने वाली हानि के लिए परिषद उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसे अपूर्ण/अस्पष्ट/गलत भरे आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माने जायेंगे।
4. ऑनलाइन आवेदन पत्र में संस्थान एवं व्यवसाय आदि का चयन सावधानी पूर्वक करें। इसके गलत हो जाने का उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।
5. विवरण पुस्तिका में दिये गये विवरण केवल अभ्यर्थी के सूचनार्थ एवं निर्देशार्थ हैं। विवरण पुस्तिका वैधानिक प्रलेख नहीं है। अतः इसका उपयोग वर्णित कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिए मान्य नहीं होगा।
6. वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र लखनऊ में स्थित न्यायालय ही मान्य है। अभ्यर्थियों के प्रवेश के सम्बन्ध में परिषद का निर्णय अन्तिम होगा तथा अभ्यर्थी परिषद के नियम मानने हेतु बाध्य होंगे।
7. यदि राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चयनित किसी अभ्यर्थी की प्रवेश की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र/मूल अंक तालिका (अस्थायी अथवा प्रतिबन्धों के साथ मान्य नहीं है) की 'प्राप्ति' विलम्ब से होती है अथवा किसी अन्य कारणवश यदि अभ्यर्थी राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा संस्थान में प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक वांछित शैक्षिक अर्हता का प्रमाण-पत्र आदि नहीं प्रस्तुत करता है अथवा प्रवेश नहीं ले पाता है तो सम्बन्धित अभ्यर्थी को प्रवेश प्रदान कराने का उत्तरदायित्व परिषद/संस्थान का नहीं होगा तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/चयन स्वतः समाप्त हो जायेगा।
8. विवरण पुस्तिका के अतिरिक्त राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (SCVT), उ.प्र. अथवा उसकी ओर से अन्य किसी भी संस्था/प्रकाशक को अभ्यर्थियों के मार्ग दर्शन (गाइडेंस) हेतु किसी प्रकार की पुस्तिका प्रकाशन अथवा मुद्रण का कोई भी अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। यदि कोई संस्था, परिषद के नाम का दुरुपयोग करती है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक निर्देश

1. यदि कोई अभ्यर्थी प्रॉविजनली चयनित हो जाने की दशा में अपने आरक्षण वर्ग अथवा वरीयता वर्ग का मूल प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त) प्रवेश के समय प्रस्तुत नहीं करता है अथवा आरक्षण एवं वरीयता के सम्बन्ध में उसके द्वारा दिया गया वक्तव्य अथवा अन्य दी गयी सूचना असत्य पाई जाती है, तो उसे किसी अन्य वर्ग में समायोजित नहीं किया जायेगा एवं उसकी पात्रता निरस्त हो जायेगी।

आरक्षण वर्ग अथवा वरीयता वर्ग सम्बन्धी प्रारूप परिशिष्ट—(6) पर देखे जा सकते हैं।

- | | |
|--|-------------------|
| (अ) अन्य पिछड़ा वर्ग (उत्तर प्रदेश)। | प्रारूप संख्या:—1 |
| (ब) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश)। | प्रारूप संख्या:—2 |
| (स) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (उ.प्र. से बाहर के)। | प्रारूप संख्या:—3 |
| (द) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित उम्मीदवार। | प्रारूप संख्या:—4 |
| (ड.) सेवारत एवं भू.पू. सैनिकों के आश्रित उम्मीदवार। | प्रारूप संख्या:—5 |

उक्त प्रारूप-पत्र पर सूचना निर्धारित/अंतिम तिथि तक संस्थान में उपलब्ध न करा पाने वाले अभ्यर्थियों का चयन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

ऑन लाईन आवेदन-पत्र भरने के दिशा-निर्देश

(नमूना ऑन लाईन आवेदन पत्र पृष्ठ सं०-15 से 18 पर देखें।)

महत्वपूर्ण :- ऑनलाइन आवेदन पत्र का भुगतान केवल डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जाना है।

अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट <http://www.scvtup.in> को खोलना होगा, तथा उस पर बने हुए लिंक “**Online Submission of Application for Admission for Session 2018-19 for Private ITI**” पर क्लिक कर अभ्यर्थी अपना आवेदन एवं तदनानुसार पंजीकरण शुल्क का भुगतान कर सकता है। अभ्यर्थी को पहले अपना फार्म भरना होगा। फार्म भरने के पश्चात उसे “**Preview**” वाले पृष्ठ पर अंकित 'Proceed For Payment' के लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन भुगतान करना होगा। ऑनलाइन शुल्क का चयन करने पर अभ्यर्थी को बैंकों के चयन का विकल्प प्राप्त होगा, अभ्यर्थी अपनी सुविधानुसार प्रदर्शित किसी भी बैंक के विकल्प का चयन कर आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं, तथा भुगतान होने पर वह अपने फार्म का प्रिंट आउट ले सकेगा। ऑनलाइन आवेदन में सहायता हेतु विवरणी ई-फार्म में वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी विवरणी को पूर्ण रूप से या आवश्यकता के अनुसार विवरणी का कोई भाग प्रिंट कर सकते हैं, या डाउनलोड कर सकता है।

अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑन लाइन आवेदन प्रारूप में सूचना सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन में किसी प्रकार की गलती होने पर आवेदन पत्र निरस्त हो सकता है। अभ्यर्थियों द्वारा गलत सूचनाएँ देने पर चयनित होने के उपरान्त भी प्रवेश निरस्त माना जायेगा। ऑन लाइन आवेदन केवल अंग्रेजी के बड़े अक्षर (A,B,C....) एवं अंग्रेजी के अंकों (1,2,3....) में ही भरे जाने हैं।

ऑन लाईन आवेदन पत्र भरने की विधि :-

- 1. अभ्यर्थी का नाम (Name of Applicant)**— ऑन लाइन आवेदन के क्रमांक-01 पर अभ्यर्थी अपने नाम को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में उसी प्रकार लिखें जैसा कि उसके हाई स्कूल अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र में अंकित है। नाम, मध्यनाम व उपनाम के बीच में एक खाली स्थान रखें। नाम से पहले SHRI/SMT/KM आदि न लगायें। नमूने में अभ्यर्थी का नाम SUDHIR KUMAR है।
- 2. पिता का नाम (Father's Name)**— क्रमांक-2 में अभ्यर्थी अपने पिता के नाम को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में उसी प्रकार लिखें जैसा कि उसके हाई स्कूल अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र में अंकित है। नाम, मध्यनाम व उपनाम के बीच में एक खाली स्थान रखें। नाम से पहले SHRI न लगायें। नमूने में अभ्यर्थी के पिता का नाम RAJENDR KUMAR है।
- 3. माता का नाम (Mother's Name)**— क्रमांक-3 में अभ्यर्थी अपनी माता के नाम को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में उसी प्रकार लिखें जैसा कि उसके हाई स्कूल अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र में अंकित है। नाम, मध्यनाम व उपनाम के बीच में एक खाली स्थान रखें। नाम से पहले SMT न लगायें। नमूने में अभ्यर्थी के माता का नाम UMADEVI है।
- 4. पति या पत्नी का नाम (Spouse Name)**— क्रमांक-4 में अभ्यर्थी अपने पति या पत्नी के नाम को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखें। नाम, मध्य नाम व उपनाम के बीच में एक खाली स्थान रखें। नाम से पहले SHRI/SMT न लगायें। नमूने में अभ्यर्थी की पत्नी का नाम NIDHI है।
- 5. लिंग (Gender)**— यदि आप पुरुष हैं तो पुरुष के विकल्प का चयन करें तथा यदि आप महिला अभ्यर्थी हैं, तो महिला के विकल्प का चयन करें। ट्रांसजेंडर (उभयलिंगी/विपरीतलिंगी) का विकल्प भी उपलब्ध है।
- 6. जन्मतिथि (Date Of Birth)**— क्रमांक-6 में अपनी जन्मतिथि उसी प्रकार लिखें जैसा कि आपके हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में अंकित है। तिथि के लिए अंग्रेजी अंक 01 से 31 का उपयोग करें, जन्म माह के लिए अंकित महीने के अंग्रेजी नाम का चयन करें एवं तदोपरान्त वर्ष का चयन करें। (आवेदन पत्र के नमूने में अभ्यर्थी की जन्मतिथि 15, मार्च 1999 दर्शायी गयी है।)
- 7. वर्ग (Category)**— आवेदन पत्र के क्रमांक-7 पर विभिन्न वर्गों के लिए जाति वर्ग (Category) का चयन करें।
क - अनारक्षित वर्ग— सामान्य (GEN)
ख- आरक्षित वर्ग— 1. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) 2. अनुसूचित जाति (SC) 3. अनुसूचित जनजाति (ST)

8. **उप वर्ग (Sub Category)**— अभ्यर्थी अपनी उप श्रेणी के आधार पर इस खाने में संबंधित उप वर्ग का चुनाव करें। भरा हुआ नमूना देखें। यदि अभ्यर्थी किसी भी उप वर्ग में नहीं आता है तो उसे कोई चयन नहीं करना है।
क— स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित
ख—सेवारत अथवा भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित
ग— शारीरिक रूप से दिव्यांग (निःशक्त)
9. **दिव्यांगता का प्रकार (Disability)**— यदि अभ्यर्थी शारीरिक रूप से दिव्यांग है तो दिव्यांगता के प्रकार का चयन करें।
10. **अल्पसंख्यक श्रेणी (MINORITY CATEGORY)**— अल्पसंख्यक अभ्यर्थी इस कालम में अल्पसंख्यक श्रेणी का चयन कर प्रविष्टि करें। अल्पसंख्यक से भिन्न श्रेणी के अभ्यर्थी से इस कालम में किसी कार्यवाही की अपेक्षा नहीं है।
11. **आधार कार्ड नम्बर (UID NUMBER)**— इस कालम में अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड नम्बर, यदि आवंटित हो, की प्रविष्टि करें।
12. **मोबाइल नम्बर (Mobile Number)**— इस क्रमांक के सामने अभ्यर्थी अपना 10 अंको वाला मोबाइल नम्बर अंकित करें। यदि अभ्यर्थी के पास अपना मोबाइल कनेक्शन / नम्बर नहीं है तो वह अपने अभिभावक अथवा ऐसे सम्बन्धी का मोबाइल नम्बर अंकित कर सकता है जिससे उसे चयन / प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक सूचनाएं प्राप्त हो सकें। मोबाइल नम्बर के प्रारम्भ में 0 (Zero) न लगायें।
13. **ई-मेल आईडी (Email ID)**— इस क्रमांक के सामने अभ्यर्थी अपनी ई-मेल आईडी अंकित कर सकता है।
14. **मूल निवास स्थान (Domicila)**— इस क्रमांक के सामने अभ्यर्थी यदि उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी है तो उसे "उत्तर प्रदेश" अन्यथा अन्य प्रदेश का मूल निवासी होने की दशा में "अन्य" का चयन करना है।
15. **गृह जनपद (Home District)**— अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश राज्य के जिस जनपद का मूल निवासी है उसका चयन करें।
16. **अ- स्थायी पता (Permanent Address)**— अभ्यर्थी अपना स्थायी पता अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में अत्यन्त सावधानी पूर्वक निर्धारित खाने में ही भरें।
ब- पत्र व्यवहार का पता (Address for Correspondence)— अभ्यर्थी अपने पत्र व्यवहार का पूरा पता केवल अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में अत्यन्त सावधानी पूर्वक निर्धारित खाने में ही भरें। पते के साथ पिन कोड संख्या अवश्य भरें। पते में नाम व पिता का नाम न भरें। इसी पते का उपयोग प्रवेश सम्बन्धी अन्य कार्यवाहियों हेतु परिषद द्वारा किया जायेगा।
17. **अर्हकारी शैक्षिक योग्यता (Qualifying Educational Qualification)**— निर्धारित शैक्षिक योग्यता वाला अभ्यर्थी ही ऑन लाइन आवेदन भरने के योग्य है। विवरण पुस्तिका के परिशिष्ट-02 से 05 पर व्यवसाय में प्रवेश हेतु वांछित शैक्षिक अर्हता और व्यवसायों के विवरण दिए गये हैं। कृपया अभ्यर्थी उसका भली भांति अध्ययन कर लें व तदनुसार व्यवसायों का चयन करें।

शैक्षिक योग्यता

शैक्षिक योग्यता	शैक्षिक योग्यता कोड
● 8वाँ उत्तीर्ण।	1
● 10वाँ उत्तीर्ण।	2
● 10वाँ उत्तीर्ण हिन्दी अनिवार्य विषय के साथ।	3
● 10वाँ उत्तीर्ण (विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ)।	4
● 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ तथा अलग-अलग न्यूनतम 40 प्रतिशत अंको के साथ)।	5
● 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ)।	6
● 12 वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत अथवा समकक्ष तथा शारीरिक दक्षता—ऊँचाई 165 सेमी, वजन 52 किग्रा, सीना 81 सेमी, सामान्य, फूला हुआ 85 सेमी, तथा पंजीकृत एम0बी0बी0एस0 योग्यता धारक चिकित्सक द्वारा विषय विशेष हेतु प्रदत्त चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र)।	7
● 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत अथवा समकक्ष तथा शारीरिक दक्षता—ऊँचाई 165 सेमी, वजन 52 किग्रा, सीना 81 सेमी, सामान्य, फूला हुआ 85 सेमी, तथा एम0बी0बी0एस योग्यता धारक चिकित्सक द्वारा विषय विशेष हेतु प्रदत्त चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र)।	8

नोट : परिशिष्ट 02 से 05 तक में व्यवसाय हेतु दर्शायी गयी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता डी0जी0टी0 भारत सरकार द्वारा व्यवसाय विशेष के लिए निर्धारित की गयी है।

ऑन लाइन पोर्टल पर अभ्यर्थी को वे ही व्यवसाय प्रदर्शित होंगे जिनमें प्रवेश पाने की न्यूनतम अर्हकारी शैक्षिक योग्यता उसके पास होगी इसलिए शैक्षिक योग्यता का कॉलम भली प्रकार देखकर भरें। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक कालम की शैक्षिक योग्यता रखते हैं, तो तदनुसार भरें।

अभ्यर्थी अपने इच्छित व्यवसाय विशेष हेतु अर्हकारी शैक्षिक योग्यता (आठवीं, हाईस्कूल अथवा इण्टर मीडिएट जैसा लागू हो) के अनुसार ही चयन करें। अभ्यर्थी व्यवसाय के विकल्प को अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुसार ही भरें जिसका व्यवसायवार विवरण **परिशिष्ट-02 से 05** में प्रदर्शित है। चयनित होने की दशा में संस्थान में प्रवेश के समय अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र/अंकपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

शासनादेश के अनुसार हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद से उत्तीर्ण अभ्यर्थी आई.टी.आई. में चयन हेतु पात्र नहीं है। माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है, परन्तु यदि कोई अभ्यर्थी समकक्ष परीक्षा के आधार पर चयन हेतु आवेदन करता है तो उसे उसके द्वारा उत्तीर्ण परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के समकक्ष होने का प्रमाण पत्र संबंधित जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक अथवा उप निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश से स्वयं प्राप्त कर चयनित निजी आई.टी.आई. में देना आवश्यक होगा। इसके अभाव में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

18.(अ) पिछला आई0टी0आई0 का नाम (Name of Previous ITI)— अभ्यर्थी यदि पूर्व में किसी आई0टी0आई0 का प्रशिक्षार्थी रहा हो, तो उस आई0टी0आई0 का नाम इस कालम में भरें।

18.(ब) पिछला आई0टी0आई0 व्यवसाय का नाम (Name of Previous ITI Trade)— इसी तरह यदि अभ्यर्थी पूर्व में आई0टी0आई0 के किसी व्यवसाय का प्रशिक्षार्थी रहा हो, तो इस कालम में उस व्यवसाय का नाम भरें।

19. वरीयता— निजी आई.टी.आई. की प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी अपनी निर्धारित वरीयता के विकल्प का चयन करेंगे जो निम्नवत् है—

- राज्य स्तरीय खिलाड़ी के अभ्यर्थी के लिए

20.(अ) फोटोग्राफ— अभ्यर्थी अपनी नवीनतम डिजिटल अथवा स्कैन्ड फोटो (अधिकतम 50 KB साइज की .jpg, .jpeg file format में) को निर्धारित स्थान में अपलोड करें। फोटोग्राफ आवेदन पत्र के क्रमांक-22.1 पर अपलोड किया जायेगा।

20.(ब) अभ्यर्थी के हस्ताक्षर— अभ्यर्थी सादे कागज पर किये गये अपने हस्ताक्षर को स्कैन कर (अधिकतम 50 KB साइज की .jpg, .jpeg file format में) उसे निर्धारित स्थान में अपलोड करें। हस्ताक्षर आवेदन पत्र के क्रमांक-22.2 पर अपलोड किया जायेगा।

21. आवेदित कोर्स ग्रुप— उक्त के कोड को भरने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जाये—

उदाहरण—

(क) अभ्यर्थी यदि कोर्सग्रुप **A** के अंतर्गत उपलब्ध व्यवसायों में प्रवेश चाहता है तो उसे ग्रुप **A** का चयन करना होगा। अभ्यर्थी अपनी शैक्षिक अर्हता के अनुसार किन्ही तीन (03) जनपदों के अधिकतम 25 संस्थानों के व्यवसायों का चयन कर सकता है।

(ख) अभ्यर्थी यदि कोर्सग्रुप **B** के अंतर्गत उपलब्ध व्यवसायों में प्रवेश चाहता है तो उसे ग्रुप **B** का चयन करना होगा। अभ्यर्थी अपनी शैक्षिक अर्हता के अनुसार किन्ही तीन (03) जनपदों के अधिकतम 25 संस्थानों के व्यवसायों का चयन कर सकता है।

(ग) अभ्यर्थी यदि कोर्स ग्रुप **A** एवं **B** दोनों के अंतर्गत उपलब्ध व्यवसायों में प्रवेश चाहता है तो उसे तदनुसार दोनों ग्रुप का चयन करना होगा।

22. **ग्रुप-ए व ग्रुप-बी (Group-A & Group-B)**— अभ्यर्थियों द्वारा जनपद का विकल्प भरने पर वहाँ संचालित समस्त निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रदर्शित होने लगेंगे। फार्म के इस कालम में बाईं ओर प्रदर्शित हो रहे “आई0टी0आई0 सूची” में आई0टी0आई0 क्लिक करने के पश्चात् “चुने” बटन पर क्लिक करें। तदनुसार चुनी हुई आई0टी0आई0 दायीं ओर चयनित आई0टी0आई0 बॉक्स में प्रदर्शित होगी।

चयनित आई0टी0आई0 सूची में किसी आई0टी0आई0 “+” निशान को क्लिक करने पर उसमें संचालित व्यवसाय दिखने लगेंगे। व्यवसाय के नाम पर क्लिक करने पर उसे चयनित व्यवसाय के बॉक्स में उस व्यवसाय का नाम भी जुड़ जायेगा।

नोट : चयनित संस्थान अथवा व्यवसाय का संशोधन अभ्यर्थी फार्म Submit करने से पूर्व कर सकता है, परन्तु फार्म Submit करने के उपरान्त चयनित संस्थान / व्यवसाय में कोई परिवर्तन (संशोधन) सम्भव नहीं होगा।

चयनित संस्थान (आई0टी0आई0) को हटाने के लिए अभ्यर्थी को आई0टी0आई0 का चयन करके हटाये बटन पर क्लिक करना होगा। इसी प्रकार चयनित व्यवसाय को हटाने के लिए अभ्यर्थी को व्यवसाय का चयन करके “व्यवसाय हटाये बटन” पर क्लिक करना होगा।

उपरोक्तानुसार ऑनलाइन आवेदन भरने के उपरान्त अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह उसे भली-भाँति जाँच कर लें। अभ्यर्थी को ऑन लाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात् Preview करने की सुविधा मिलेगी जिसे अभ्यर्थी भली-भाँति एवं सावधानी पूर्वक जाँच करने के उपरान्त ही ऑन लाइन आवेदन पत्र सुरक्षित (submit) करें। एक बार आवेदन सुरक्षित करने पर उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा संशोधन अनुमत्त नहीं होगा।

अभ्यर्थियों एवम् प्रबन्धक / प्रधानाचार्य निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु

अति महत्वपूर्ण सूचना:—

1. व्यावसायिक शिक्षा एवम् कौशल विकास विभाग, उ0प्र0 द्वारा जारी शासनादेश संख्या:71/2018/1686/89-व्या0शि0 एवं कौ0वि0वि0-2018-26(टी)/2018, दिनांक 11-05-2018 के बिन्दु संख्या-4 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश में संचालित निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिये जो भी फीस निर्धारित की जायेगी, प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा उक्त फीस ही संबन्धित संस्थान में जमा की जायेगी।
2. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0 द्वारा जिन निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को प्रवेश हेतु अनुपयुक्त पाया जायेगा, उस निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों का आवंटन नहीं किया जायेगा। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह अधिक से अधिक संस्थानों का विकल्प अवश्य दें।
3. समस्त निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिये सत्र अगस्त-2018 से होने वाले प्रवेश हेतु व्यवसायवार सीटें विवरणी में भारत सरकार डी0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदर्शित हैं। यदि किसी संस्थान को उक्त में कोई संशोधन वांछित है तो समस्त अभिलेखों सहित भारत सरकार डी0जी0टी0 नई दिल्ली में संशोधन कराकर इस कार्यालय में भी संशोधन करा लें अन्यथा इसके होने वाले परिणाम के लिये वे संस्थान स्वयं उत्तरदायी होंगे।

अभ्यर्थियों के उपयोगार्थ आवेदन के विवरण के सत्यापन हेतु जाँच-सूची

ऑन लाइन प्रिन्टेड आवेदन पत्र के सम्बंध में निम्न बिन्दुओं की जाँच अवश्य कर लें:—

1. फोटो की 4 प्रतियां प्रवेश के समय यथा आवश्यकता उपयोग हेतु अपने पास सुरक्षित रख ली गई हैं।
2. अभ्यर्थी ने अपने स्कैन्ड हस्ताक्षर ऑन लाइन आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर स्पष्ट रूप से अपलोड कर दिये हैं।
3. अभ्यर्थी भरे गये ऑन लाइन आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट की एक छायाप्रति कराकर अपने पास सुरक्षित रखें ताकि प्रवेश के समय यथा आवश्यकता संदर्भ हेतु उनके द्वारा संस्थान में उपलब्ध कराया जा सके।



राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश

आई.टी.आई. परिसर, अलीगंज, लखनऊ



कौशल बलम्

निजी आई० टी० आई० प्रवेश 2018 हेतु ऑनलाइन आवेदन

STEP-1

1- अनिवार्य फील्ड है * 2- विवरण पुस्तिका भली-भांति पढ़कर ही ऑन-लाइन आवेदन करें। *

1. Name of Applicant (अभ्यर्थी का नाम) *	2. Father's Name (पिता का नाम) *	3. Mother's Name (माता का नाम) *
<input type="text" value="SUDHIR KUMAR"/>	<input type="text" value="RAJENDR KUMAR"/>	<input type="text" value="UMA DEVI"/>
4. Spouse Name (पति या पत्नी का नाम)	5. Gender (लिंग) *	6. Date of Birth (जन्म तिथि) *
<input type="text" value="NIDHI"/>	<input type="text" value="Male पुरुष"/>	<input type="text" value="15"/> <input type="text" value="March"/> <input type="text" value="1999"/>
7. Category (वर्ग) *	8. Sub Category (उप वर्ग)	9. Disability (दिव्यांगता का प्रकार)
<input type="text" value="GEN (सामान्य)"/>	<input type="text" value="SELECT (चयन करें)"/>	<input type="text" value="SELECT (चयन करें)"/>
10. Minority Category (अल्पसंख्यक श्रेणी)	11. Aadhar Number (आधार नंबर) *	12. Mobile No.* (मोबाइल नंबर)
<input type="text" value="SELECT (चयन करें)"/>	<input type="text" value="144552258252"/>	<input type="text" value="9452222166"/>
13. Email ID (ई-मेल आई-डी)	14. Domicile (मूल निवास स्थान) *	
<input type="text"/>	<input type="text" value="(Uttar Pradesh)उत्तर प्रदेश"/>	
15. Home District (गृह जनपद) *		
<input type="text" value="Lucknow लखनऊ"/>		
16. Address (पता)		
(अ). Permanent Address (स्थायी पता) *	<input checked="" type="checkbox"/> Same As (अ)	(ब).Address For Correspondence (पत्र व्यवहार का पता) *
<input type="text" value="KAPOORTHALA ALIGANJ NEAR SHARA TAWAR"/>		<input type="text" value="KAPOORTHALA ALIGANJ NEAR SHARA TAWAR"/>
STATE (प्रदेश) *		STATE (प्रदेश) *
<input type="text" value="UTTAR PRADESH उत्तर प्रदेश"/>		<input type="text" value="UTTAR PRADESH उत्तर प्रदेश"/>
District (जनपद) *		District (जनपद) *
<input type="text" value="Lucknow लखनऊ"/>		<input type="text" value="Lucknow लखनऊ"/>
PINCODE (पिन कोड) *		PINCODE (पिन कोड) *
<input type="text" value="226020"/>		<input type="text" value="226020"/>
Permanent Phone Number (स्थायी फोन नंबर) *		Correspondence Phone Number (पत्राचार फोन नंबर) *
<input type="text" value="522585255855855"/>		<input type="text" value="522585255855855"/>

SAVE AND GO TO NEXT STEP



राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश

आई.टी.आई. परिसर, अलीगंज, लखनऊ



कौशल बलम्

निजी आई० टी० आई० प्रवेश 2018 हेतु ऑनलाइन आवेदन

STEP-2

1- अनिवार्य फील्ड है * 2- विवरण पुस्तिका भली-भांति पढ़कर ही ऑन-लाइन आवेदन करें। *

Applicant Id:-325774

Application Fee : 250 + Transaction Charges Extra

17. Qualifying Educational Qualification (अर्हकारी शैक्षिक योग्यता)*

- 8वीं उत्तीर्ण
- 10वीं उत्तीर्ण
- 10वीं उत्तीर्ण हिन्दी अनिवार्य विषय के साथ
- 10वीं उत्तीर्ण (विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ)
- 10वीं उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ तथा अलग-अलग न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ)
- 10वीं उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ)
- 12वीं उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत अथवा समकक्ष तथा शारीरिक दक्षता- ऊँचाई 165 सेमी., वजन 52 किग्रा, सीना 81 सेमी, सामान्य, फूला हुआ 85 सेमी. तथा पंजीकृत एम0बी0बी0एस0 योग्यता धारक चिकित्सक द्वारा विषय विशेष हेतु प्रदत्त चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र)
- 10वीं उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत अथवा समकक्ष तथा शारीरिक दक्षता-ऊँचाई 165 सेमी, वजन 52 किग्रा, सीना 81 सेमी, सामान्य, फूला हुआ 85 सेमी, तथा एम0बी0बी0एस योग्यता धारक चिकित्सक द्वारा विषय विशेष हेतु प्रदत्त चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र)।

नोट: यदि अभ्यर्थी ने CBSE बोर्ड से 10 वीं अथवा 12 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो CGPA कॉलम में CGPA भरें तथा उसका प्रतिशत निकालकर 100 पूर्णांक के सापेक्ष प्राप्तांक भरें।

Exam Name (परीक्षा का नाम)	Board (बोर्ड)	College/School Name (कालेज/स्कूल का नाम)	Roll No. (अनुक्रमांक)	Passing Year (उत्तीर्ण वर्ष)	Subject (विषय)	Max Marks (पूर्णांक)	Obtain Marks (प्राप्तांक)	CGPA	Grade	%
Junior High school (आठवीं)	CBSE	T D College	251252	2014	All Subject	800	650		A	81.25
High school or Equivalent (हाईस्कूल या समकक्ष)	UP Board	T D College	2524523	2016	All Subject Mar	600	450		A	75.00
Intermediate or Equivalent इन्टरमीडिएट या समकक्ष)	--Select--			Year					Grade	

18(अ). Name of Previous ITI (पिछला आईटीआई का नाम)

18(ब). Name of Previous ITI Trade (पिछला आईटीआई के व्यवसाय का नाम)

19. वरीयता-वरीयता अंक हेतु विशेष श्रेणी का चयन करें (एक या अधिक या सभी का चयन कर सकते हैं जो लागू हों)

राज्य स्तरीय खिलाड़ी(राज्य स्तरीय प्रमाण पत्र)

20(अ). फोटोग्राफ *



Upload

20(ब). अभ्यर्थी के हस्ताक्षर *



Upload

अधिमानीत फोटो का साइज 50 केबी (.jpg, .jpeg केवल) Preferred photo size 50 KB (.jpg, .jpeg only)

Previous

SAVE AND GO TO NEXT STEP



राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश

आई.टी.आई. परिसर, अलीगंज, लखनऊ



कौशल बलम्

निजी आई० टी० आई० प्रवेश 2018 हेतु ऑनलाइन आवेदन

STEP-3

Applicant Id:- 325774

Application Fee : 250 + Transaction Charges Extra

1. (ग्रुप का चयन अनिवार्य है, ग्रुप A,B दोनों चयन कर सकते हैं), इसके पश्चात जनपदों की सूची प्रदर्शित होगी , जनपद का चयन करने पर उस जनपद में संचालित आई. टी. आई. की सूची प्रदर्शित होगी, जिसमे से वांछित आई. टी. आई. का चयन किया जा सकता है।
2. आईटीआई का चयन कर के चुने बटन पर क्लिक कर के उसका चयन करें ,चयनित आईटीआई के "+" निशान पर क्लिक करने पर उसमे संचालित व्यवसाय देखें।
3. व्यवसाय के नाम पर क्लिक करके उसे चयनित व्यवसाय के बॉक्स में जोड़ें।

21. आवेदित कोर्स ग्रुप (चयन करें) (ग्रुप का चयन अनिवार्य है) Group A (ग्रुप ए) Group B (ग्रुप बी)

22 (अ). Group A(ग्रुप-ए)

निर्देश

1. अपनी प्राथमिकता के अनुसार नीचे बाईं ओर दी गयी "आई टी आई सूची" में आई टी आई पर क्लिक करने के पश्चात "चुने" बटन पर क्लिक करें। तदनुसार चुनी गयी आई टी आई बाईं ओर "चयनित आई टी आई" बॉक्स में प्रदर्शित होगी।
2. जिलेवार अधिकतम तीन जनपदों से अधिकतम 25 आई. टी. आई. का चयन कर सकते हैं।

आई टी आई सूची

44-Lucknow

- J K PRIVATE ITI [3406], LUCKNOW
- HIMALAYAN PRIVATE ITI [3432], LUCKNOW
- MISSION PRIVATE ITI [3572], LUCKNOW
- BHAWANI PRIVATE ITI [3717], LUCKNOW
- AMBITIOUS PRIVATE ITI [3722], LUCKNOW

45-Hardoi

- Rajwati Private ITI [2044] - Hardoi
- ANKERITE PRIVATE ITI [3310], HARDOI
- Thakur Deep Singh Private ITI [2043] - Hardoi
- Subhash Chandra Bose Private ITI, [2042] - Hardoi

46-Lakhimpur Kheri

चुने >

< हटाए

चयनित आई टी आई सूची

"+" निशान पर क्लिक करने पर उसमे संचालित व्यवसाय देखें। व्यवसाय के नाम पर क्लिक करके उसे चयनित व्यवसाय के बॉक्स में जोड़ें। चयनित आईटीआई को हटाने के लिए आईटीआई का चयन कर के हटाए बटन पर क्लिक करें।

- J K PRIVATE ITI [3406], LUCKNOW
 - Computer Operator and Programming Assistant (NCVT)
 - Mechanic (Refrigeration and Air-Conditioner) (NCVT)
 - Draughtsman (Civil) (NCVT)
 - Electronics Mechanic (NCVT)
 - Stenographer & Secretarial Assistant (English) (NCVT)
 - Plumber (NCVT)

निर्देश

1. व्यवसाय के नाम पर क्लिक करके उसे चयनित व्यवसाय के बॉक्स में जोड़ें।
2. चयनित व्यवसाय को हटाने के लिए व्यवसाय का चयन कर के व्यवसाय हटायें बटन पर क्लिक करें।
3. ऊपर व नीचे की दिशा वाले तीर के बटन से आप चयनित व्यवसाय का वरीयता क्रम बदल सकते हैं।

चयनित व्यवसाय सूची

- 1 Computer Operator and Programming Assistant (NCVT)
- 2 Mechanic (Refrigeration and Air-Conditioner) (NCVT)
- 3 Draughtsman (Civil) (NCVT)

↑
↓

व्यवसाय हटाए

Previous

Next



राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश

आई.टी.आई. परिसर, अलीगंज, लखनऊ





कौशल बलम्

निजी आई० टी० आई० प्रवेश 2018 हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रिन्टवु

PREVIEW-PAGE

Applicant Id: 325774

Application Fee : 250 + Transaction Charges Extra

1. Name of Applicant (अभ्यर्थी का नाम)	: SUDHIR KUMAR	20.1	 	
2. Father's Name (पिता का नाम)	: RAJENDR KUMAR			
3. Mother's Name (माता का नाम)	: UMA DEVI			
4. Spouse Name (पति या पत्नी का नाम)	: NIDHI			
5. Gender (लिंग)	: Male	20.2		
6. Date of Birth (जन्म तिथि)	: 15/03/1999			
7. Category (वर्ग)	: GEN			
8. Sub Category (उप वर्ग)	:		9. Disability (दिव्यांगता का प्रकार)	:
10. Minority Category (अल्पसंख्यक श्रेणी)	:		11. Aadhar Number (आधार नंबर)	: 144552258252
12. Mobile No. (मोबाइल नंबर १० अंक वाला)	: 9452222166		13. Email ID(ई-मेल आई-डी)	:
14. Domicile (मूल निवास स्थान)	: उत्तर प्रदेश		15. Home District (गृह जन्मपद)	: Lucknow
16. (अ). Permanent Address (स्थायी पता) STATE (प्रदेश) District (जन्मपद) PINCODE (पिन कोड) Permanent Phone Number (स्थायी फोन नंबर)	: kapoorthala Aliganj near shara tawar UTTAR PRADESH Lucknow 226020 522585255855855		(ब). Address For Correspondence (पत्र व्यवहार का पता) STATE (प्रदेश) District (जन्मपद) PINCODE (पिन कोड) Correspondence Phone Number (पत्राचार फोन नंबर)	: kapoorthala Aliganj near shara tawar UTTAR PRADESH Lucknow 226020 522585255855855

17. Qualifying Educational Qualification : 8वीं उत्तीर्ण
(अर्हकारी शैक्षिक योग्यता) 10वीं उत्तीर्ण

Exam Name	Board	College Name	Roll No	Passing Year	Subjects	Max Marks	Obtain Marks	CGPA	Grade	%
Junior HighSchool	CBSE	T D College	251252	2014	All Subject	800	650		A	81.25
HighSchool	UP Board	T D College	2524523	2016	All Subject Math	600	450		A	75.00

18. (अ). Name of Previous ITI (पिछला आईटीआई का नाम)	:	(ब). Name of Previous ITI Trade (पिछला आईटीआई के व्यवसाय का नाम)	:
19. वरीयता (घयन करे) राज्य स्तरीय खिलाड़ी(राज्य स्तरीय प्रमाण पत्र)	:		:
21. आवेदित कोर्स ग्रुप	: Group A		:
22 (अ). Group A ITI and Trade J K PRIVATE ITI [3406], LUCKNOW	: Computer Operator and Programming Assistant Mechanic (Refrigeration and Air-Conditioner) Draughtsman (Civil)		:
22 (ब). Group B ITI and Trade	:		:

मैं सहमत हूँ

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन के क्रमांक 1 से 25 के अन्तर्गत दी गई समस्त सूचनायें मेरी जानकारी में सही हैं। यदि प्रवेश प्रक्रिया एवं उसके उपरान्त किसी भी स्तर पर मेरे द्वारा दी गई सूचनायें असत्य पाई जाती हैं तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाय एवं प्रवेश के संबंध में मेरा कोई दावा मान्य नहीं होगा।

Previous

Proceed to payment

उत्तर प्रदेश में स्थित जनपदों के कोड

मण्डल	जनपद	जनपद का कोड
आगरा-1	आगरा	01
	मथुरा	02
	फिरोजाबाद	03
	मैनपुरी	04
अलीगढ़-2	अलीगढ़	05
	एटा	06
	कासगंज	07
बरेली-3	हाथरस	08
	बरेली	09
	बदायूँ	10
मुरादाबाद-4	पीलीभीत	11
	शाहजहाँपुर	12
	मुरादाबाद	13
	सम्भल	14
मेरठ-5	अमरोहा (जे.पी. नगर)	15
	बिजनौर	16
	रामपुर	17
	मेरठ	18
सहारनपुर-6	बुलन्दशहर	19
	गाजियाबाद	20
	हापुड़	21
	गौतमबुद्धनगर	22
	बागपत	23
	सहारनपुर	24
कानपुर-7	मुजफ्फर नगर	25
	शामली	26
	कानपुर नगर	27
	कानपुर देहात	28
	कन्नौज	29
	इटवा	30
इलाहाबाद-8	औरैया	31
	फर्रुखाबाद	32
	इलाहाबाद	33
	कौशाम्बी	34
झाँसी-9	फतेहपुर	35
	प्रतापगढ़	36
	झाँसी	37
चित्रकूटधाम-10	जालौन	38
	ललितपुर	39
	चित्रकूट	40
	महोबा	41
	बाँदा	42
	हमीरपुर	43

मण्डल	जनपद	जनपद का कोड
लखनऊ-11	लखनऊ	44
	हरदोई	45
	लखीमपुर खीरी	46
	सीतापुर	47
	उन्नाव	48
फैजाबाद-12	रायबरेली	49
	फैजाबाद	50
	अम्बेडकरनगर	51
	सुल्तानपुर	52
श्रीदेवीपाटन-13	अमेठी	53
	बाराबंकी	54
	बहराइच	55
	गोण्डा	56
वाराणसी-14	श्रावस्ती	57
	बलरामपुर	58
	वाराणसी	59
	गाजीपुर	60
विंध्याचल धाम (मिर्जापुर)-15	जौनपुर	61
	चन्दौली	62
	मिर्जापुर	63
आजमगढ़-16	सोनभद्र	64
	सन्तरविदास नगर (भदोही)	65
	आजमगढ़	66
बस्ती-17	बलिया	67
	मऊ	68
	बस्ती	69
	सन्तकबीरनगर	70
गोरखपुर-18	सिद्धार्थनगर	71
	गोरखपुर	72
	देवरिया	73
	महराजगंज	74
	कुशीनगर	75

कोर्स ग्रुप ए (Course Group A)

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत सेमेस्टर प्रणाली आधारित व्यवसाय, कोड एवं उनका संक्षिप्त परिचय
इंजीनियरिंग व्यवसाय (Engineering Trades)

क्र० सं०	व्यवसाय	व्यवसाय कोड	प्रशिक्षण अवधि	न्यूनतम अर्हकारी शैक्षिक योग्यता	शैक्षिक योग्यता कोड	संक्षिप्त परिचय
01	फिटर	227	दो वर्ष (चार सेमेस्टर)	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष)	4	विभिन्न धातुओं के कल-पुर्जों का निर्माण एवं उनकी फिटिंग करना तथा औजारों का सम्पूर्ण ज्ञान।
02	टर्नर	221	दो वर्ष (चार सेमेस्टर)	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष)	4	विभिन्न प्रकार की खुराद मशीनों द्वारा पुर्जों का निर्माण, चूड़ी बनाना, धातुओं को आवश्यकतानुसार खुराद कर विभिन्न आकार देने का कार्य।
03	मशीनिस्ट	222	दो वर्ष (चार सेमेस्टर)	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष)	4	विभिन्न प्रकार की मशीनों पर कार्य करके विभिन्न प्रकार के गियर, फिटिंग, चाभी तथा घाट काटने सम्बन्धी ज्ञान अर्जित करना।
04	इलेक्ट्रीशियन	231	दो वर्ष (चार सेमेस्टर)	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष)	4	विद्युत सम्बन्धी कल-पुर्जों का ज्ञान, उनकी मरम्मत एवं रख-रखाव, मोटर वाइंडिंग आदि का ज्ञान अर्जित करना।
05	मैकेनिक (रेफ्रीजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग)	218	दो वर्ष (चार सेमेस्टर)	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत।	2	रेफ्रीजरेटर, एयरकन्डीशनर आदि का ज्ञान, मरम्मत तथा स्थापित करना एवं संचालन।
06	मैकेनिक मशीन टूल्स मेन्टीनेन्स	225	दो वर्ष (चार सेमेस्टर)	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष)	4	मशीनों को खोलना, बाँधना, मशीनों में उत्पन्न खराबी को ठीक करना।
07	ड्राफ्टसमैन (मैकेनिकल)	224	दो वर्ष (चार सेमेस्टर)	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष)	4	यान्त्रिक पुर्जों तथा मशीनों का आकार व नाप ड्राइंग शीट पर बनाना, उसका ब्लू प्रिन्ट बनाना।
08	ड्राफ्टसमैन (सिविल)	217	दो वर्ष (चार सेमेस्टर)	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत।	2	भवन, पुल आदि का आकार व नाप ड्राइंग शीट पर बनाना तथा उसका ब्लू प्रिन्ट बनाना।
09	सर्वेयर	207	एक वर्ष (दो सेमेस्टर)	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत।	2	भूमि की ऊपरी सतह/भीतरी भाग का सर्वेक्षण, निरीक्षण, सड़क, रेलवे ट्रैक, हवाई पट्टी आदि का सर्वेक्षण करने सम्बन्धी ज्ञान का अर्जन।
10	इलेक्ट्रानिक मैकेनिक	219	दो वर्ष (चार सेमेस्टर)	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत।	2	इलेक्ट्रानिक पुर्जों, उपकरणों जैसे टी0वी0, वी0सी0आर0 सामान्य इलेक्ट्रानिक्स के उपकरण आदि का मरम्मत एवं उनका रखरखाव चलाने सम्बन्धी ज्ञान।
11	मैकेनिक मोटर व्हीकल	215	दो वर्ष (चार सेमेस्टर)	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ।	4	डीजल, पेट्रोल से चलने वाली छोटी एवं बड़ी गाड़ियों की मरम्मत, पुर्जों का ज्ञान तथा गाड़ियों को चलाना।

12	इन्फारमेशन कम्प्यूनिवेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मैन्टीनेन्स (ICTSM)	220	दो वर्ष (चार सेमेस्टर)	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ।	4	साफ्टवेयर एवं कम्प्यूटर टेक्नोलोजी का ज्ञान दिया जाता है।
13	मैकेनिक डीजल इंजन	201	एक वर्ष(दो सेमेस्टर)	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ।	4	डीजल इंजन को चलाने,मरम्मत करने सम्बन्धी ज्ञान।
14	मैकेनिक मोटर साइकिल	204	एक वर्ष(दो सेमेस्टर)	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ।	4	इसके अन्तर्गत वाहनों के रख-रखाव एवं रिपेयरिंग संबंधी आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है।
15.	फाउण्ड्रीमैन टेक्नीशियन	214	एक वर्ष(दो सेमेस्टर)	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष।	4	बने हुए साचों के अनुरूप पिघली धातु से पुर्जों की ढलाई करना।
16.	मैकेनिक ट्रैक्टर	202	एक वर्ष(दो सेमेस्टर)	10वाँ उत्तीर्ण (विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ।	4	ट्रैक्टर की मरम्मत एवं उसका रख-रखाव करना, चलाना उसके संबंध में सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना।
17	फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन	021	एक वर्ष (दो सेमेस्टर)	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत।	2	शरीर के विभिन्न जोड़ों के समुचित रूप से चलायमान कर नसों में आपेक्षित रक्त संचालन सुनिश्चित करने का ज्ञान देना।
18.	रेडियोलॉजी टेक्नीशियन	060	दो वर्ष(चार सेमेस्टर)	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत।	2	विकरण चिकित्सा पद्धति की मदद से शरीर की अंतःसंरचना की प्राप्त तस्वीर का परीक्षण करना, शारीरिक संरचना, विकरण हेतु शारीरिक स्थित परीक्षण का, तकनीक उपकरणों का रखरखाव विकरण के बचाव एवं सुरक्षा तथा रोगी की देखभाल का ज्ञान देना।
19.	आर्किटेक्चर असिस्टेंट	210	एक वर्ष (दो सेमेस्टर)	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ तथा अलग अलग न्यूनतम 40 प्रतिशत अंको के साथ।	5	भवनों के निर्माण वास्तु के विचार से तथा आन्तरिक रंगरोगन आदि संबंधी ज्ञान दिया जाना।
20.	प्लम्बर	209	एक वर्ष(दो सेमेस्टर)	10वाँ उत्तीर्ण	2	नल, पानी की लाइन, टंकी, टोटी, वाल आदि की मरम्मत सेनेट्री फिटिंग का कार्य।
21	पम्प आपरेटर कम मैकेनिक	205	एक वर्ष(दो सेमेस्टर)	10वाँ उत्तीर्ण (विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ)।	4	विभिन्न प्रकार के पम्पों की मरम्मत, फिटिंग का कार्य।
22.	लैबोरेटरी असिस्टेन्ट(कैमिकल प्लान्ट)	040	दो वर्ष(चार सेमेस्टर)	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष।	4	ठोस तरल पदार्थ के गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण का प्रशिक्षण दिया जाना।
23	इन्टीरीयर डिजाइनिंग एण्ड डेकोरेशन	208	एक वर्ष (दो सेमेस्टर)	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ तथा अलग अलग न्यूनतम 40 प्रतिशत अंको के साथ।	5	कार्यालयों, घरों की आंतरिक साज-सज्जा की बनावट को तैयार करना तथा आन्तरिक वास्तु रंग, पर्दे, तकिये आदि संबंधी ज्ञान दिया जाना।

नोट :-व्यवसाय हेतु दर्शायी गयी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता डी0जी0टी0 भारत सरकार द्वारा व्यवसाय विशेष के लिए निर्धारित की गयी है।

कोर्स ग्रुप ए (Course Group A)

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत सेमेस्टर प्रणाली आधारित व्यवसाय, कोड एवं उनका संक्षिप्त परिचय
इतर इंजीनियरिंग व्यवसाय (Non-Engineering Trades)

क्र० सं०	व्यवसाय	व्यवसाय कोड	प्रशिक्षण अवधि	न्यूनतम अर्हकारी शैक्षिक योग्यता	शैक्षिक यो० कोड	संक्षिप्त परिचय
01	कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA)	242	एक वर्ष (दो सेमेस्टर)	10वाँ उत्तीर्ण	2	कम्प्यूटर आपरेटर, डाटा इण्ट्री प्रोग्रामिंग तथा अप्लीकेशन पैकेजेज को चालने का ज्ञान।
02	स्टेनोग्राफी एण्ड सेक्रेटरीयल असिस्टेंट अंग्रेजी	259	एक वर्ष(दो सेमेस्टर)	10वाँ उत्तीर्ण	2	अंग्रेजी भाषा का सांकेतिक भाषा में लिखना और उसे टाइप मशीन पर टंकण करना।
03	स्टेनोग्राफी एण्ड सेक्रेटरीयल असिस्टेंट (हिन्दी)	260	एक वर्ष(दो सेमेस्टर)	10वाँ उत्तीर्ण हिन्दी अनिवार्य विषय के साथ	3	हिन्दी भाषा का सांकेतिक भाषा में लिखना और उसे टाइप मशीन पर टंकण करना।
04	फूड प्रोडक्शन जनरल	253	एक वर्ष(दो सेमेस्टर)	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत)।	2	मुख्य रसोईयों की सहायता व खाद्य व्यंजन सम्बन्धी विभिन्न कार्य।
05.	फायर टेक्नोलॉजी एण्ड इण्डस्ट्रीयल सेफ्टी मैनेजमेंट	107	एक वर्ष(दो सेमेस्टर)	12वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत अथवा समकक्ष तथा शारीरिक दक्षता—ऊँचाई 165 सेमी, वजन 52 किग्रा, सीना 81 सेमी, सामान्य, फूला हुआ 85 सेमी, तथा एम0बी0बी0एस योग्यता धारक चिकित्सक द्वारा विषय विशेष हेतु प्रदत्त चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र)।	7	अग्नि शमन संबंधी तकनीक एवं औद्योगिक सुरक्षा संबंधी ज्ञान प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाना।
06.	हेल्थ सेनेटरी इन्स्पेक्टर	112	एक वर्ष(दो सेमेस्टर)	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत)।	2	स्वास्थ्य तथा सफाई संबंधी व्यवस्थाओं के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाना।
07.	डेंटल लैबोरेटरी टेक्नीशियन	133	दो वर्ष(चार सेमेस्टर)	10वाँ उत्तीर्ण	2	दंतावली से सम्बन्धित ज्ञान दिया जाना।
08	डेस्कटॉप पब्लिशिंग आपरेटर	243	एक वर्ष(दो सेमेस्टर)	10वाँ उत्तीर्ण	2	कम्प्यूटर और उससे जुड़े उपकरणों द्वारा प्रकाशन के कार्य का ज्ञान दिया जाना।
09.	फैशन डिजाइन एण्ड टेक्नोलॉजी	246	एक वर्ष(दो सेमेस्टर)	10वाँ उत्तीर्ण	2	इस व्यवसाय के अन्तर्गत कटाई-सिलाई, कढ़ाई तथा इनसे सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की क्रियाओं, ड्रेस मेकिंग आदि का ज्ञान दिया जाता है।
10.	हारस्पिटल हाउस कीपिंग	114	एक वर्ष(दो सेमेस्टर)	10वाँ उत्तीर्ण	2	हारस्पिटल की साफ-सफाई आदि सम्बन्धी कार्यों का ज्ञान दिया जाता है।
11.	प्रि/प्रिपेरेटोरी स्कूल मैनेजमेंट(असिस्टेंट)	257	एक वर्ष(दो सेमेस्टर)	10वाँ उत्तीर्ण	2	स्कूल प्रबन्धन में सहयोग सम्बन्धी कार्यों का ज्ञान दिया जाता है।
12.	हेल्थ,सेफ्टी इनवायरमेंट	111	एक वर्ष(दो सेमेस्टर)	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत अथवा समकक्ष तथा शारीरिक दक्षता—ऊँचाई 165 सेमी, वजन 52 किग्रा, सीना 81 सेमी, सामान्य, फूला हुआ 85 सेमी, तथा एम0बी0बी0एस योग्यता धारक चिकित्सक द्वारा विषय विशेष हेतु प्रदत्त चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र)।	8	पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षा और मौजूदा पर्यावरण की सुरक्षा, प्रदूषण के नियंत्रण का ज्ञान दिया जाता है।

13	मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव	118	एक वर्ष(दो सेमेस्टर)	10वाँ उत्तीर्ण	2	इस व्यवसाय के अन्तर्गत आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रबन्धन सम्बन्धी ज्ञान दिया जाता है।
14	फूड बेबरेज	279	एक वर्ष(दो सेमेस्टर)	10वाँ उत्तीर्ण (विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ)।	4	इस व्यवसाय के अन्तर्गत खाद्य और पेय पदार्थों से सम्बन्धित ज्ञान दिया जाता है।
15	हाउस कीपर	255	एक वर्ष(दो सेमेस्टर)	10वाँ उत्तीर्ण	2	गृह सम्बन्धी विभिन्न सफाई पहलुओं का ज्ञान दिया जाता है।
16	ड्रेस मेकिंग	248	एक वर्ष(दो सेमेस्टर)	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत)।	2	पहनने योग्य सुन्दरता पूर्ण, आकर्षक कपड़ों द्वारा विभिन्न प्रकार की आकर्षक ड्रेस बनाना।
17	बेसिक कास्मेटोलॉजी	239	एक वर्ष(दो सेमेस्टर)	10वाँ उत्तीर्ण	2	मनुष्य के केस एवं त्वचा की देख-भाल करना एवं सुन्दरता बनाये रखने संबंधी ज्ञान।
18	सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस (अंग्रेजी)	258	एक वर्ष(दो सेमेस्टर)	10वाँ उत्तीर्ण	2	कार्यालय पद्धति का ज्ञान दिया जाता है जिसके साथ आशुलेखन तथा टंकण का कार्य भी सिखाया जाता है।

परिशिष्ट-4

कोर्स ग्रुप बी (Course Group- B)

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत सेमेस्टर प्रणाली आधारित व्यवसाय, कोड एवं उनका संक्षिप्त परिचय

इंजीनियरिंग व्यवसाय (Engineering Trades)

क्र० सं०	व्यवसाय	व्यवसाय कोड	प्रशिक्षण अवधि	न्यूनतम अर्हकारी शैक्षिक योग्यता	शैक्षिक यो० कोड	संक्षिप्त परिचय
01	कारपेन्टर	206	एक वर्ष(दो सेमेस्टर)	कक्षा-8 उत्तीर्ण	1	लकड़ी का फर्नीचर, घरेलू सामान आदि का निर्माण करना।
02	वैल्डर	212	एक वर्ष(दो सेमेस्टर)	कक्षा-8 उत्तीर्ण	1	धातु के बने हुए पुर्जे एवं अन्य सामग्री जैसे ग्रिल आदि को गैस एवं विद्युत धारा द्वारा जोड़कर बनाना।
03	पेन्टर जनरल	059	दो वर्ष(चार सेमेस्टर)	कक्षा-8 उत्तीर्ण	1	सम्पूर्ण पेन्टिंग का कार्य जैसे फर्नीचर व्हीकल पर लिखावट, रंग द्वारा सजावट का कार्य।
04	वायरमैन	232	दो वर्ष (चार सेमेस्टर)	कक्षा-8 उत्तीर्ण	1	घरेलू एवं औद्योगिक भवनों की वायरिंग, विद्युत लाइन खींचना उत्पन्न खराबी ठीक करना आदि का कार्य।
05	मेसन (बिल्डिंग कान्सट्रक्टर)	211	एक वर्ष(दो सेमेस्टर)	कक्षा-8 उत्तीर्ण	1	भवन निर्माण कार्य जैसे इटों की छत की जुड़ाई, ढलाई आदि के कार्य का ज्ञान देना।
06	वैल्डर(फ़ैब्रीकेशन एण्ड फिटिंग)	272	एक वर्ष(दो सेमेस्टर)	कक्षा-8 उत्तीर्ण	1	टी.आई.जी./एम.आई.जी. वैल्डिंग/स्ट्रक्चरल/फ़ेशर पार्ट्स फिटिंग/स्ट्रक्चरल वैल्डिंग/फ़ेशर बेसेल एण्ड पाइप वैल्डिंग इस्पेक्शन एण्ड टेस्टिंग आदि का ज्ञान।

कोर्स ग्रुप बी (Course Group- B)

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत सेमेस्टर प्रणाली आधारित व्यवसाय, कोड एवं उनका संक्षिप्त परिचय
इतर इंजीनियरिंग व्यवसाय (Non-Engineering Trades)

क्र० सं०	व्यवसाय	व्यवसाय कोड	प्रशिक्षण अवधि	न्यूनतम अर्हकारी शैक्षिक योग्यता	शैक्षिक यो० कोड	संक्षिप्त परिचय
01	फुटवियर मेकर	109	एक वर्ष(दो सेमेस्टर)	कक्षा-8 उत्तीर्ण	1	विभिन्न प्रकार के जूते-चप्पल आदि के निर्माण/ मरम्मत आदि का ज्ञान देना।
02	सुवीइंग टेक्नालॉजी	247	एक वर्ष(दो सेमेस्टर)	कक्षा-8 उत्तीर्ण	1	कपड़े की कटिंग करके सिलाई मशीनों द्वारा सिलाई करके गारमेंट्स तैयार करना।
03	कटिंग एण्ड स्वीइंग	099	एक वर्ष(दो सेमेस्टर)	कक्षा-8 उत्तीर्ण	1	कपड़े की कटिंग करके सिलाई मशीनों द्वारा सिलाई करके गारमेंट्स तैयार करना।
04	सरफेस आनार्मिटेसन टेक्नीशियन (एम्ब्राइड्री)	249	एक वर्ष(दो सेमेस्टर)	कक्षा-8 उत्तीर्ण	1	कपड़े पर रंगीन धागों से सुन्दर-सुन्दर डिजाइनों की कढ़ाई करना।

नोट :- व्यवसाय हेतु दर्शायी गयी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता डी०जी०टी० भारत सरकार द्वारा व्यवसाय विशेष के लिए निर्धारित की गयी है।

प्रारूप-1

प्रमाण-पत्र (ओ०बी०सी०)

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. निवासी -ग्राम/मोहल्ला
सुपुत्र/सुपुत्री/श्री तहसील नगर जिला उ.प्र. राज्य कीपिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (यथा संशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु.पूर्वोक्त अधिनियम 1994 (यथा संशोधित) की अनुसूची-दो (जैसा कि उ.प्र. लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय तीन लाख रु० या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कु. तथा/अथवा उनका परिवार उ.प्र. के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतः रहता है।

स्थान
दिनांक
मुहर

हस्ताक्षर
पूरा नाम
पद नाम.....
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

प्रारूप-2

प्रमाण-पत्र (एस.सी./एस.टी)

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती कुसुपुत्र/सुपुत्री/श्री

..... निवासी-ग्राम/मोहल्ला तहसील

नगर जिला उ.प्र. राज्य कीजाति

के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ है) संविधान

(अनुसूचित जनजाति, उ0प्र0) आदेश, 1967 के अनुसार जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है।

श्री/श्रीमती/कु. तथा/अथवा उनका परिवार उ.प्र. के ग्राम/मोहल्ला

तहसील नगर जिला में सामान्यतः रहता है।

स्थान हस्ताक्षर.....

दिनांक पूरा नाम.....

मुहर पद नाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/
सिटी मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतनभोगी
मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण
अधिकारी।

प्रारूप-3

उत्तर प्रदेश से बाहर अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के प्रवासी उम्मीदवार
द्वारा अपने दावे के समर्थन में पेश किये जाने वाले जाति प्रमाण-पत्र का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पुत्री

.....निवासी गांव/शहर जिला/मण्डल राज्य/संघ

शासित क्षेत्र की जाति/जनजाति का/की हैं, जो संविधान के आदेश के अधीन

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति घोषित की गई हैं।

यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी को उसके पिता/माता श्री/श्रीमती

..... निवासी गांव/शहर जिला/मण्डल

..... राज्य/संघ शासित क्षेत्र दिये गये अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र

के आधार पर जारी किया है और जाति/जनजाति के हैं जिसे राज्य/ संघ शासित

क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है।

(निर्धारित पदाधिकारी का नाम) द्वारा आपके पत्र या दिनांक के अन्तर्गत

जारी किया गया है।

स्थान हस्ताक्षर

राज्य/संघशासित क्षेत्र पद

दिनांक

कृपया राष्ट्रपति के सम्बन्धित आदेश का उल्लेख करें।

प्रारूप-4

शासनादेश संख्या:4/3/82-का-2-1997 दिनांक 26 दिसम्बर,1997 द्वारा

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का प्रमाण-पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती निवासी ग्राम
..... तहसील नगर जिला
..... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री / श्रीमती / कुमारी (आश्रित) पुत्र / पुत्री / पौत्र / अविवाहित पौत्री उपरोक्त 1993 के ही प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

दिनांक

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी (सील)

प्रारूप-5

सैनिक आश्रित का प्रमाण-पत्र का प्रारूप

सेवारत तथा भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र-पुत्रियों तथा पैरा मिलिट्री फोर्स जिसमें बार्डर सिक्क्यूरिटी फोर्स, सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आसाम राइफल्स, इंडो तिब्बती बार्डर पुलिस सम्मिलित है, के सैनिकों, जो युद्ध या संघर्ष में अक्षम हो गये हैं, अथवा मारे गये हैं, के पुत्र एवं पुत्रियों द्वारा देय प्रमाण-पत्र जो कि सेवारत / भूतपूर्व सैनिक के उस यूनिट के आफिसर कमांडिंग के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए जिस यूनिट में वह कार्यरत हो अथवा सबसे अन्त में रहा हो अथवा पैरा मिलिट्री फोर्स का सैनिक युद्ध या संघर्ष में अक्षम हो गया हो या मारा गया हो। केवल सेवानिवृत्त सैनिक के सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट सोलजर्स बोर्ड के सचिव द्वारा भी प्रमाण-पत्र दिया जा सकता है।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / कुमारी (अभ्यर्थी का पूरा नाम) सेवारत / भूतपूर्व सैनिक / पैरा मिलिट्री फोर्स का संघर्ष या युद्ध में अक्षम या मारे गये सैनिक श्री के पुत्र / पुत्री हैं। श्री (सैनिक का नाम) यूनिट में पद पर दिनांक से तक कार्यरत थे / हैं। पैरा मिलिट्री की यूनिट में संघर्ष या युद्ध में अक्षम रहे या मारे गये हैं।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

ओ.सी.के हस्ताक्षर

तिथि

पद

सील

नोट :- इस पुस्तिका में दिये गये उदाहरण पूर्णतया काल्पनिक हैं जो कि ऑन लाइन आवेदन भरने हेतु मार्ग-दर्शन के रूप में दिये गये हैं। उनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं है। अभ्यर्थी अपने वास्तविक एवं अन्य विवरण को ही ऑन लाइन आवेदन में भरें।